न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 22/2017

उनवान

1. श्रीमति गिरीराज कुंवर पिता रामसिंह पत्नि पुष्पेन्द्र सिह झाला जाति राजपुत निवासी बनकोडा तहसील सागवाडा जिला डुंगरपुर हाल गांव झालो का गडा तहसील गढी बांसवाडा।

—: वादीय

बनाम

1. कचरू पिता जितेंग जाति डिण्डोर भील निवासी उँटी तहसील गढी जिला बांसवाड
2. तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रति

वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 01/5/

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया की स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 222 (नई) 209 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 4311 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 4316 02 कुल किता 2 रकबा 0.07 हे0 भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाके ग्राम मोर तह जिला बांसवाडा में स्थित है।। वादीया उक्त खाते की एक मात्र कृषक मालिक व स्वा वादीया उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। वादीया उक्त खाते की मालिक व स्वामी है व खातेदार कृषक है तथा वर्षो से उक्त खाते की भूमि पर पूर्व में स के साथ शान्तिपूर्वक काश्त करती आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई हक अधिकार न वादीया का उक्त सर्वे नम्बर के खेत प्रतिवादी नम्बर 1 के खेत के पास लगता हुआ सर्वे न रकबा 0.07 हे0 का खेत है, जो कि गांव वाकावाडा जिसका वर्तमान रेवेन्यु गांव खटवा हल्का चौपासाग तहसील गढी में स्थित है एंव प्रतिवादी का खेत वादीया के सर्वे नम्बर से है। इस कारण प्रतिवादी ने इस वर्ष दिसम्बर 2016 में वादीया के उक्त दोनों सर्वे नम्बर क मेंड़ तोड़कर उक्त खेत को अपने खेत सर्वे नम्बर में मिलाकर पूरा एक कर दिया है एंव कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। जिस पर वादीया अपने पति के साथ मौके पर गई को ऐसा रने से मना किया तो फिी प्रतिवादी नहीं माना और शराब पिकर और उसके प लोगों को लेकर वादीया व उसके पति को मारने हेतु उतारू हुआ और वादीया व उस प्रतिवादी यह धमकी देने लगा कि यदि तु खेत पर काई तो तुझे व उसके पति को बलात्कार के झुठे केसों में फसाकर जेल भिजवा देंगे। इस प्रकार गैर कानुनी तरिके व अ कानुन अपने हाथ में लेकर वादीया के उक्त दोनों सर्वे नम्बर की भूमि पर अवैध रूप 2016 में प्रतिवादी ने अवैध कब्जा कर लिया है। जबकि प्रतिवादी का वादीया के उक्त ख में किसी तरह का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए वादीया को उक्त सर्वे नम्बर किया गया अवैध कब्जा हटाकर रिक्त कब्जा वादीया को दिलाय

र वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी ग्राम मोर संवत 2071 से 2074 प्रदर्श–1,
ग्रस्त भूमि का नक्षा ट्रेस प्रदर्श–2 प्रर्शित करवाये जाकर पत्रावली एक पक्षीय बहस में नियत की
।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव
दीया की ओर से प्रस्तुत वाद एंव वाद के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप
प्रस्तुत शपथ–पत्र आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि पटवार हल्का मोर
ग्राम मोर की खाता संख्या 222 (नई) 209 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 4311 रकबा 0.05 हे0, सर्वे
बर 4316 रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.07 हे0 लगान 0.32 रू0 भूमि वादीया के नाम
तेदारी में दर्ज रेकार्ड हैं।

अतः वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द
या जाता हैं कि पटवार हल्का मोर के ग्राम मोर की खाता संख्या 222 (नई) 209 (पुरानी) के सर्वे
म्बर 4311 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 4316 रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.07 हे0 लगान 0.32
0 भूमि जो वादीया के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हैं, उस पर किये गये कब्जे को तत्काल हटा
वे एंव वादीया के शान्तिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार की बाधा/रूकावट न तो स्वंय द्वारा की जावे
व न ही अपने किसी परिचित से ऐसा कोई कृत्य करावें जिससे की वादीया को अपनी खातेदारी
मि में काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो। इसी कम में प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार को निर्देशित
किया जाता हैं कि वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये अवैध कब्जे
को तत्काल हटवाया जाकर वादीया को कब्जा सुपुर्द करें।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द कि
जाता हैं कि पटवार हल्का मोर के ग्राम मोर की खाता संख्या 222 (नई) 209 (पुरानी) के सर्वे न
4311 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 4316 रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.07 हे0 लगान 0.32
भूमि जो वादीया के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हैं, उस पर किये गये कब्जे को तत्काल हटा
एंव वादीया के शान्तिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार की बाधा/रूकावट न तो स्वंय द्वारा की जावे एं
ही अपने किसी परिचित से ऐसा कोई कृत्य करावें जिससे की वादीया को अपनी खातेदारी भू
काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो। इसी कम में प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार को निर्देशित
जाता हैं कि वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये अवैध कब्जे
तत्काल हटवाया जाकर वादीया को कब्जा सुपुर्द करें। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी
रास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/5/2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 22/2017

उनवान

1. श्रीमति गिरीराज कुंवर पिता रामसिंह पत्नि पुष्पेन्द्र सिह झाला जाति राजपुत निवासी बनकोडा तहसील सागवाडा जिला डुंगरपुर हाल गांव झालो का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीया

बनाम

1. कचरू पिता जितेंग जाति डिण्डोर भील निवासी उँटी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 01/5/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीया अभिभाषक पैश होकर हुक्म दिया जाता है कि वार हल्का मोर के ग्राम मोर की खाता संख्या 222 (नई) 209 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 4311 रकबा 0.05 हे0, स बर 4316 रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.07 हे0 लगान 0.32 रू0 भूमि जो वादीया के नाम खातेदारी में दर्ज कार्ड हैं, उस पर किये गये कब्जे को तत्काल हटा लेंवे एंव वादीया के शान्तिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार क या/रूकावट न तो स्वंय द्वारा की जावे एंव न ही अपने किसी परिचित से ऐसा कोई कृत्य करावें जिससे क दीया को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो। इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या हसीलदार को निर्देशित किया जाता हैं कि वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये ग वैध कब्जे को तत्काल हटवाया जाकर वादीया को कब्जा सुपुर्द करें। इस आशय की डिक्री जारी कर वार लनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आ ी तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 01/5/2018 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
			शून्य